

कार्यालय, लोकपाल मनरेगा, मुजफ्फरपुर।

परिवाद संख्या- 137 / 16

तिथि-11 / 01 / 2017

श्री महेन्द्र राउत एवं अन्य चौदह, यजुआर पश्चिमी, प्रखंड-कटरा बनाम कार्य० पदा०।
उपस्थित -श्री रमेन्द्र नाथ राय (लोकपाल)

निर्णय

परिवादी श्री महेन्द्र राउत एवं अन्य चौदह, ग्राम पंचायत राज-यजुआर पश्चिमी, प्रखंड-कटरा द्वारा दिनांक-15.07.2016 को एक परिवाद दायर किया गया जिसमें उन्होंने शिकायत किया है कि वे लोग कई सालों से मजदूरी करते आ रहे हैं। लेकिन उन्हें अबतक जॉबकार्ड एवं पास-बुक नहीं मिला है। इसके संबंध में पंचायत रोजगार सेवक एवं मुखिया जी से ही जानकारी प्राप्त हो सकती है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि उनके पास-बुक से डाकघर से उनके नाम पर पैसे की निकासी की गयी है। इसकी जानकारी उन्हें तब हुई जब मुखिया जी उन्हें बुलाकर एक सौ, डेढ़ सौ या दो सौ रु० दान के रूप में देना चाहते थे जिसे उनलोगों ने अस्वीकार किया तथा पूरी मजदूरी का पैसा मांगा परन्तु नहीं मिला। जॉब कार्ड एवं पास-बुक भी उन्हें आज तक नहीं मिल पाया है।

इस संबंध में कार्यक्रम पदाधिकारी, कटरा, मुखिया एवं पंचायत रोजगार सेवक, यजुआर पश्चिमी को नोटिस जारी की गयी। इसके जवाब में कार्यक्रम पदाधिकारी, कटरा ने अपने पत्रांक-214 दिनांक-31.10.2016 द्वारा प्रतिवेदित किया है कि सभी मजदूरों का जॉबकार्ड एवं पास-बुक मजदूरों के पास है एवं सभी मजदूरों द्वारा स्वयं डाकघर से मजदूरी प्राप्त किया गया है। साक्ष्य के रूप में मजदूरों द्वारा दिए गए बयान की छायाप्रति संलग्न की गयी है। बयान में अंकित किया गया है कि संबंधित मजदूरों का जॉबकार्ड एवं बैंक में खोले गए खाता का पास-बुक उनके पास है साथ ही किए गए कार्य का मजदूरी भुगतान भी हो चुका है।

--: विचारणीय बिन्दु :-

क्या सभी मजदूरों को जॉबकार्ड एवं पास-बुक मिल चुका है तथा उनके मजदूरी का भुगतान हो चुका है?

--: निष्कर्ष :-

कार्यक्रम पदाधिकारी, कटरा के प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि सभी मजदूरों को जॉबकार्ड एवं पास-बुक मिल चुका है साथ ही उनके मजदूरी का भुगतान भी हो चुका है। इस तरह प्रतीत होता है कि मजदूर आवेदको ने इस मामले में सुलह कर लिया है और अब उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। अतः आगे कोई कार्रवाई करना समीचीन प्रतीत नहीं होता है।

--: आदेश :-

उपरोक्त निष्कर्ष के आलोक में इस वाद को खारिज किया जाता है।

ह/०

लोकपाल(मनरेगा),
मुजफ्फरपुर।

ज्ञापांक 04 / मुज०,दिनांक- 11/01/2017

प्रतिलिपि :- सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि :- जिलाधिकारी-सह-जिला कार्यक्रम समन्वयक, मुज० को सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि :- जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि आदेश की प्रति को जिले के वेबसाईट पर अपलोड कराने की कृपा की जाए।

प्रतिलिपि :- संबंधित आवेदक को सूचनार्थ प्रेषित।

रमेन्द्र नाथ राय
11-1-17

लोकपाल(मनरेगा),
मुजफ्फरपुर।

2